चतुर्थ राष्ट्रीय जल संगोष्ठी

2011

जल संसाधनों के प्रबंधन में नवीनतम तकनीकों का प्रयोग

16–17 दिसम्बर, 2011

आपो हि ष्ठा मयोभुवः

राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान
जलविज्ञान भवन
रूडकी–247667 (उत्तराखंड)

देवनदी पुनर्जीवन कार्यक्रम के अंतर्गत जल संसाधन के प्रबन्धन में जन भागीदारी

सुनिल पोटे[1] **विलास पाटिल[1]**

[1]युवा मित्र संगठन, नासिक, महाराष्ट्र

सारांश

युवा मित्र पिछले 11 सालों से सिन्नर तहसील में काम कर रही है। वर्तमान में युवा मित्र सिन्नर और इगतपुरी तहसील के 81 गाँवों में ग्राम विकास, बच्चों का व्यक्तित्व विकास, महिला सक्षमीकरण, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, और नैसर्गिक स्त्रोतों के संरक्षण और शाश्वत विकास हेतु काम कर रही है, साथ ही युवा मित्र ग्रामीण लोगों की उपजीविका हेतु डेयरी जैसे नियमित और तात्कालिक आय अर्जित करने वाले खेती के लिए पूरक उत्पादन स्त्रोतों को विकसित कर किसानों के जीवनमान को अधिक विकसित करने की कोशिश में लगी है। सन् 2007 में आयोजित शोधयात्रा के परिणाम स्वरूप देवनदी पर ब्रिटिशों द्वारा बनाये गये चैक डैम्स और उस पर आधारित सिंचन व्यवस्था के पुनर्जीवन हेतु युवा मित्र ने काम करना शुरू किया और पिछले तीन सालो में पूरे किए हुए इस काम से दो गाँवों के कुल 596 किसानों को लाभ मिल रहा है। इन दो गाँवों में किए गये काम और उसके परिणामों को देख अन्य गाँवों के लोग भी अपने गाँवों के चैक डैम और नहरों को पुनर्जीवित करना चाहते हैं।

देवनदी

सिन्नर तहसील पूरे देश में सूखा पीड़ित क्षेत्र माना जाता है और इसी तहसील में बहने वाली देवनदी को सिन्नर की जीवन वाहिनी माना जाता है। देवनदी सिन्नर में बहने वाली एकमात्र नदी है। देवनदी का उद्गम सहयाद्री पर्वत श्रृंखला के औंधेपट्टा पहाड़ियों में स्थित धोंडबार गाँव में होता है, जो सिन्नर से 26 कि.मी. की दूरी पर है। धोंडबार से सांगवी तक 70 कि.मी. बहकर देवनदी 20 गाँवों की जल की आवश्यकता को पूरी करती है।

ब्रिटिश कालीन सिंचन और रखरखाव की व्यवस्था और जलस्त्रोतों के अधिकार

इसी देवनदी पर 1870 के दशक में ब्रिटिशों द्वारा 20 चैक डैम्स बनाये गये थे। हर चैक डैम से जुड़ा एक नहर और उससे जुड़े उप नहर थीं। उप नहरों से गाँव में आने वाला पानी छोटे चैनल्स और सब–चैनल्स से खेती तक पहुँचाया जाता था। इस तरह से 20 चैक डैम्स से 20 गाँवों की 6300 हैक्टेयर जमीन साल में नौ महीनों तक सिंचित होती थी ।

ब्रिटिशों द्वारा बनाये गये इन चैक डैम्स का नंबरीकरण भी किया गया था । इसका प्रमाण पुराने रिकार्डो में मिलता है। इस ऑफिशियल रिकार्ड की एक कॉपी युवा मित्र के पास भी है। जो चैक डैम्स सुस्थिति में हैं, उनके ऊपर यह नंबर प्रत्यक्ष देखने को भी मिलते हैं। इन रिकार्डो में कौन से चैक डैम से किस गाँव को, कितना पानी, कौन से समय मिलना चाहिए और उस पानी पर किन लोगों का अधिकार रहेगा यह भी स्पष्ट रूप से लिया गया है। इन्ही रिकार्डो से हमें यह पता चलता है कि ब्रिटिशों ने स्थानीय लोगों के नाम स्थानीय जल स्त्रोतों का अधिकार किया था यह पता चलता है, साथ ही उनमें यह भी जानकारी मिलती है कि लोगों से जो लैण्ड भू–राजस्व, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जमा किया जाता, उसमें वाटर सेस भी जुड़ा हुआ था, जो पुनः 100 प्रतिशत उन्हीं गाँवों की ग्राम पंचायतों को गाँव का कारोबार चलाने के लिए वापिस दिया जाता था। आज जब 2005 के महाराष्ट्र सिंचन पद्धति का किसानों द्वारा व्यवस्थापन कानून के अनुसार वाटर सेस कलेक्ट करने की और उसमें से 90 प्रतिशत हिस्सा ग्राम पंचायत को देने की बात हो रही है तो यह हमें नया लगता है, जबकि वास्तविकता में ऐसी व्यवस्था 130 साल पहले सें ब्रिटिशों द्वारा व्यवस्थित रूप से चलायी जा रही थी।

ब्रिटिशों द्वारा जो सिंचन प्रणाली विकसित की गई थी उसका नियमन स्थानीय जल वितरण व प्रबन्धन समिति द्वारा होता था। हर गाँव की अपनी समिति थी। ये समितियाँ तय करती थी कि कौन से किसान को, कितना पानी किस

समय मिलना चाहिए। आधा एकड़ जमीन की सिंचाई के लिए 245 मिनट लगते थे। इसको ध्यान में रखते हुए नहरों और उप–नहरों से मिलने वाले पानी का वितरण घटिका (24 मिनट), पल (3 घटिका), और पारग (3पल), में किया जाता था। हर किसान की जमीन का क्षेत्र, मिट्टी का प्रकार, मैन गेट से वॉटर डिस्चार्ज का प्रमाण और उस जमीन की आवश्यकतानुसार उसे पानी मिलता था। आवश्यकतानुसार हर सातवें या तेरहवें दिन पुनः पानी का सभी को वितरण किया जाता था। इससे पूरे गाँव की जमीन सिंचित होती थी और पानी का प्रमाण कम होने से भी किसी को सिंचन के लिए पानी की कमी महसूस नहीं होती थी।

पानी के वितरण के साथ 1870 से चली आ रही और 1985–90 तक सुचारू रूप से चल रही इस स्थानीय जल प्रबन्धन की व्यवस्था में स्थानीय जल स्त्रोतों को प्रदूषण से मुक्त रखने की भी व्यवस्था थी। उसके अनुसार और दुरूस्ती की व्यवस्था भी इन समितियों द्वारा की जाती थी जिसमें गाँव के हर परिवार से एक व्यक्ति इस काम के लिए आना आवश्यक था। जिनकी स्वयं की जमीन है और जिनकी नहीं ऐसे सभी लोगों का इस श्रमदान में सम्मिलित होना जरूरी था क्योंकि पूरे गाँव के लोग इन नहरों के पानी का उपयोग करते थे।

परम्परागत व्यवस्था में आये परिवर्तन

1985–90 तक सुचारू रूप से चल रही इस व्यवस्था से 20 गाँवों की पूरी खेती सिंचित होती थी और भू–जल भी नियमित रूप से रिचार्ज होता था। इसमें कुओं में पानी लबालब भरा रहता था और पूरे साल सिंचन के लिए पानी की कमी महसूस नहीं होती थी। परन्तु 1985 के बाद विद्युतीकरण के कारण किसानों द्वारा खेती को सिंचित करने के लिए इलैक्ट्रिक पम्प का उपयोग किया जाने लगा, धान और दालों की जगह सब्जियों और प्याज जैसे कैश क्रॉप्स की खेती होने लगी और बढ़ती जा रही पानी की आवश्यकता के साथ इलैक्ट्रिक वाटर पम्प का इस्तेमाल भी बढ़ता गया। इससे सभी लोग मात्र अपनी व्यक्तिगत खेती की ओर ध्यान देने लगे और धीरे –2 बरसों से चली आ रही स्थानीय (गाँव स्तर की) जन भागीदारी पर आधारित जल वितरण और जल प्रबन्धन की व्यवस्था पूरी तरह से बन्द हो गयी?। इससे ब्रिटिशों द्वारा स्थानीय जल स्त्रोतों पर मिले अधिकारों से भी लोगों को हाथ धोना पड़ा। अब लोगों को खेती को सिंचित करने के लिए पूरी तरह कुएँ और मानसून के पानी पर निर्भर होना पड़ा।

युवा मित्र द्वारा किये गये प्रयास

देवनदी पर बनाए गये चैक डैम्स आज भी छोटी समस्याओं को नजर अंदाज करें तो सुस्थिति में पाये जाते हैं, पर नियमित रखरखाव और सफाई के अभाव में धीरे–धीरे देवनदी में रहने वाले प्राणी जीवन का भी विनाश होने लगा। 2007 में युवा मित्र ने स्थानीय लोगों के गरीबी और पिछड़ेपन और बायोडायवर्सिटी के विनाश का कारण ढूँढने के लिए एक शोधयात्रा का आयोजन किया गया जिसमें अलग–अलग गाँवों से 40 युवा सम्मिलित हुए। 15 से 18 मई 2007 में आयोजित इस शोध यात्रा में यह युवा नदी तट पर स्थित गाँवों के बुजुर्गो से मिले और हर एक से जानकारी हासिल की और उसी से इन चैक डैम्स और उन पर आधारित सिंचन व्यवस्था की जानकारी युवा मित्र को मिली। मिली हुई जानकारी से युवा मित्र इस नतीजे पर पहुँची कि स्थानीय लोगों की गरीबी और पिछड़ेपन का कारण है देवनदी पर आधारित पूरी तरह टूटी हुई सिंचन व्यवस्था और पारम्पारिक जल वितरण व्यवस्था के प्रबन्धन में जन भागीदारी का अभाव। इस जन भागीदारी पर आधारित जल प्रबन्ध और वितरण व्यवस्था को लोगों की ही सहभागिता से पुर्नर्जीवित करने की युवा मित्र ने ठान ली और उस दिशा में कदम आगे बढ़ाये।

इस परम्परागत सिंचन व्यवस्था की जानकारी मिलने के बाद जब इन चैक डैम्स, नहरों और उप–नहरों का सर्वेक्षण किया गया तो पता पड़ा कि, गाँव की जिस चैक–डैम्स से पानी मिलता था उनके और मैन गेट से जिन दरवाजों से पानी गाँव के नहरों में पहुँचता था उनके दुरूस्ती की और कई जगह सफाई की आवश्यकता है। गाँव के अंदर जो नहरें गई थी उन पर कई जगह गाँव वालों ने अतिक्रमण कर खेती का क्षेत्र बढ़ाया था। तो ऐसे अतिक्रमणों को हटाकर पुनः उन नहरों को पहले जैसा बनाने की आवश्यकता थी। कई उप नहरें मिट्टी और वनस्पतियों से लुप्त हो गये थे, उनको फिर से खोदने की आवश्यकता थी। इन सभी दृश्यों को देखने के बाद अगर इन 20 गाँवो के लोगों का भविष्य बचाना है और गाँवों का शाश्वत विकास करना है तो इन चैक डैम्स, नहरों और उप–नहरों को पुनः पहले जैसे सुचारू करना आवश्यक है और यह एक बहुत बड़ा चैलेंज है यह युवा मित्र के ध्यान में आया और कुछ ठोस उद्‌देश्यों को सामने रखते हुए युवा मित्र ने काम की शुरूवात की। यह उद्‌देश्य थे –

– देवनदी पर आधारित परम्परागत जल सिंचन व्यवस्था को पुनर्जीवित करना।
– प्राकृतिक शाश्वतता पर आधारित जैव विविधता को पुनर्जीवित करना।
– आय निर्माण और संगठन आधारित जल प्रबन्धन के लिए जल संस्थाओं का
निर्माण और सबलीकरण करना ।

इन उद्‌देश्यों को सामने रखकर युवा मित्र ने कार्य की रणनीति का निर्धारण किया जिसमें तय किया गया कि

- नियोजन, कार्यान्वयन और नियमन की हर एक प्रक्रिया में लोगों को सहभागी बनाया जाएगा।
- हर कार्य में स्थानीय लोगों की शारीरिक श्रम के रूप में, नगदी में अथवा वस्तु रूप में सहभागिता रहेगी।
- लिंग समानता को महत्व दिया जाएगा। महिलाओं की क्षमता वृद्वि के लिए विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
- प्रोजेक्ट की इन्स्टिट्यूशनल सस्टेनिबिलिटी को सुरक्षित कर स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के साथ कोलॅबोरेशन किया जाएगा।

इस तरह उद्‌देश्यों और कार्य पद्वति का निर्धारण कर युवा मित्र ने विशेषज्ञों की सलाह और लोगों से मिली जानकारी के आधार पर देवनदी पर आधारित सिंचन व्यवस्था को पुनरूजीवित करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट

बनाया, जिसे पिछले तीन सालों से सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट, मुंबई से मिली आर्थिक सहायता से और भाटवाड़ी और वड़गाँव गॉवों के लोगों की सहभागिता से अप्रैल 2011 में प्रत्यक्ष रूप में लाया गया है ।
रिजनरेशन को प्रत्यक्ष रूप में लाने के लिए पिछले तीन सालों से युवा मित्र इन गाँवो के किसानों, महिलाओं और युवाओं के साथ नियमित एक्टिविटीज और मिटींग्ज ले रही है ।

युवा मित्र ने 2008 में पहले केवल 3 गाँवों के चैक डैम्स, नहर, उप–नहर सुचारू बनाने की योजना बनायी। इसके लिए इन गाँवों के बुजुर्गो के साथ सभी किसान और युवा मित्र के कार्य कर्ताओं की बैठकें होने लगीं। इन बैठकों में सभी बुजुर्ग किस तरह पहले नहरों से पानी का वितरण होता था, उनकी दुरूस्ती होती थी, यह सब बताने लगे। बार–बार हुई

किसानों के साथ बैठक	महिलाओं के साथ बैठक

बैठकों और चर्चाओं के परिणामस्वरूप गाँव के युवा इन नहरों और उप–नहरों की सफाई करने के लिए तैयार हुए। जहाँ नहरों में मिट्टी जमीं थी उन्हें जे.सी.बी मशीन, ट्रैक्टर, फावडे, कुदाली से फिर से पुरानी रचना को बनाए रखते हुए बनाना शुरू किया । इस तरह वड़गाँव और भाटवाड़ी दोनों गाँवों के साढ़े तीन कि.मी. के नहर दुरूस्त की गयी। नहरों का जहाँ लिकेज हुआ था उन्हें दुरूस्त किया गया। जहाँ अधिक मिट्टी थी उसे हटाकर जहाँ पर आवश्यकता थी वहाँ डाली गयी। इस तरह 8 फिट की नहर दुरूस्त हो गयी और 2009 की मानसून में उससे बारिश का पानी बहने लगा। लिकेज के कारण जो पानी फिर से नदी में जाता था वह कनालों से बहने के कारण कुओं का वाटर लेवल बढ़ गया। नवम्बर–दिसम्बर तक कुओं में टिकने वाला पानी फिर से अप्रैल–मई तक टिकने लगा और इस बदलाव के कारण बाकी किसान जागृत हो गये। और हर किसान की खेती में जो नहर, उप–नहर थीं उन्हें फिर से जीवित करने की बात होने लगी। भाटवाडी में किसानों ने वाटर युजर एसोसिएशन बनायी और खेती के अंदर के सभी वाटर चैनल फिर से जीवन्त करने का निर्णय लिया गया। कुछ लोग जल्द मान गये, कुछ लोगों को समझाने में समय लगा और इस तरह से 2–3 फिट चौड़ाई का 11 कि.मी. के वाटर चैनल फिर से बनाये गये। भाटवाड़ी की तरह वड़गाँव में भी 9 कि.मी. के वाटर चैनल फिर से बनाये गये।

वर्तमान स्थिति

इन सब उपायों से नहर, वॉटर चैनल के पुनर्जीवन से 2010 में वड़गाँव के 95 में. से. 75 कुएँ पानी से लबालब भरे। भाटवाड़ी में 77 में से 61 कुएँ मुँड तक पानी से भरे। इससे भाटवाडी में 300 हैक्टर और वड़गाँव में 200 हैक्टर जमीन कई सालों में पहली बार सिंचित हुई। देवनदी नवम्बर–दिसम्बर में ही सूख गई, परन्तु चैक–डैम्स का पानी वड़गाँव में फरवरी महीने तक और भाटवाड़ी में मार्च महीने तक नहरों और उप–नहरों में बह रहा था। इस तरह का चमत्कार लोगों ने 39 सालों के बाद देखा था। नवम्बर–दिसम्बर से सूखने वाले कुओं में जून महीने में भी पानी था।
ब्रिटिशों द्वारा बनाये गये इन चैक डैम्स की खासियत यह है कि इनके आस–पास बहने वाले छोटे–छोटे नाले भी इन्ही चैक–डैम्स में आकर मिलते हैं। इससे नहरों में जाने वाला पानी अन्त की खेती को सिंचित कर फिर से नदी में जाकर मिलता है। युवा मित्र ने जो दुरूस्ती का कार्य किया, उसमें हर एक नहर, उप–नहर के साथ खेती में बहने वाले वाटर चैनल्स भी दुरूस्त किये, फिर से बनाए। इस परिपूर्ण नियोजन के कारण खेती के आखरी छोर तक पानी पहुँचने लगा।

अब ब्रिटिशों द्वारा जल वितरण की जो प्रणाली विकसित की गयी थी, उसी के अनुसार कुछ आवश्यक बदलावों के साथ जल वितरण होता है और उस समय बनाये गये नियमों का पालन वर्तमान वाटर यूजर्स एसोशिएशन्स द्वारा किया जाता है। कोई भी किसान पानी की चोरी नहीं करता। सभी को बराबर अपने हिस्से का पानी मिलता है। इस तरह जन भागीदारी पर आधारित जल वितरण और जल प्रबन्धन की परम्परागत व्यवस्था को पुनः जीवित किया गया है । साथ में अब गाँव के लोग ही इन नहरों के रखरखाव का ध्यान रखने लगे हैं। वाटर यूजर्स एसोसिएशन के नियम इस प्रकार बनायें गये हैं कि कोई भी पानी के स्त्रोत का दुरूपयोग ना करें।

आज की तारीख में इस सिंचन प्रणाली से दोनों गाँवों की 808.29 हैक्टर जमीन सिंचित हो रही है, 172 कुएँ रिचार्ज हुए हैं, स्थानीय महिलाओं नें 37 मालीव (वेजिटेबल) प्लॉटस् बनाए है। पानी का सही इस्तेमाल हो इसलिए 117 एकड़ पर ड्रिप इरिगेशन किया गया है। जिन गाँवों में तीसरी फसल लेना केवल नामुमकिन था, वहाँ पर तीसरी फसल के साथ किसान पूरे साल एक्झोटिक वेजिटेबल का उत्पाद भी लेने लगे हैं।

परिणाम

इन दो गाँवों में आयी सम्पन्नता को देख नदी किनारे बसे बाकी 18 गाँवों में भी नहरों को दुरूस्त करने के लिए कदम आगे बढ़ रहे हैं। दो अन्य गाँवों ने अपने गाँवों में वाटर यूजर्स एसोसिएशन का गठन कर गाँव की नहरों की दुरूस्ती का काम गाँव वालों के श्रमदान से शुरू किया है । इस प्रकार लोगों की सहायता से गॉव की सिंचन व्यवस्था का सुचारू रूप से चल रहा प्रबन्धन और उससे खेती के सिंचन का बढ़ा हुआ क्षेत्र देख जिला अधीक्षक, जिला कृषि विभाग के अधिकारी और जिला सिंचन विभाग के अधिकारियों ने भी सहायता के लिए हाथ आगे बढ़ाया है।

इन 20 को मिलाकर कुल 34 सेकण्ड क्लास चैक डैम्स सिन्नर तहसील में और 297 पूरे नासिक जिले में है, जिनका ऑफिशियल रिकार्ड युवा मित्र के पास उपलब्ध है। यह सभी चैक डैम्स व्यवस्थित रूप से काम करने लगे तो न्यूनतम 40,000 हैक्टर जमीन सिंचित होगी और पूरे महाराष्ट्र के सेकण्ड क्लास चैक डैम्स को दुरूस्त करने से लाखों हैक्टर क्षेत्र सिंचित होगा ।

जन भागीदारी पर आधारित नयी पहल

केवल नहर का पानी गाँव तक पहुँचाकर ही ना रूकते हुए मिले अतिरिक्त पानी का उपयोग कर स्थानीय किसानों को जिन में अधिकतर अल्प भूधारक किसान शामिल है, अधिक सम्पन्न बनाने हेतु युवा मित्र की ओर से कुछ नये प्रयोग खेती में शुरू किए गये। इन प्रयोगों को करने से पहले किसानों के लिए अलग–अलग प्रशिक्षण, कार्यशालाएं और एक्सपोजर विजिट्स का आयोजन किया गया । इन प्रशिक्षण, कार्यशालाओं और एक्सपोजर विजिट्स के माध्यम से नई तकनीकों का खेती में उपयोग कैसे करें, वाटर यूजर एसोसिएशन की संकल्पना, उनकी कार्यप्रणाली, स्थानीय जल स्त्रोतों के प्रबन्ध में उनकी अहम भूमिका, किसानों के लिए उपलब्ध शासकीय योजनाएं, जमीन की उपजाऊकता बढ़ाने के लिए मिट्टी और जल परीक्षण की आवश्यकता, जल और मिट्टी परीक्षण के लिए जन जागृति मुहिम का आयोजन, राज्य में और राज्य के बाहर खेती में किये जा रहे प्रयोगों को देखकर उनसे प्रेरणा लेने हेतु किसानों के लिए एक्सपोजर विजिट्स का आयोजन और मार्केटिंग की जानकारी हो इसलिए देहली, पंजाब और हरियाणा में चुनिंदा किसानों को स्टडी टूर में भेजा गया।

इन सभी कार्यक्रमों से किसानों को खेती की नयी तकनीकों का ज्ञान हो और उनका उपयोग अपनी खेती में करके वे अधिक उत्पाद लें इस उद्देश्य को सामने रखते हुए युवा मित्र की ओर से किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए नियमित मासिक बैठकों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें खेती करना कैसे फायदेमंद है यह बताते हुए, नयी संकल्पनाओं को महिलाओं को समझाने की ओर विशष ध्यान दिया जाता है।
इसका परिणाम यह हुआ कि नयी तकनीकों को जानकर कुछ किसान उन्हे प्रत्यक्ष उपयोग में लाए और उसके फायदे देख बाकी किसानों ने भी उन्हें खेती करते समय उपयोग में लाना शुरू किया।

खेती करने की पद्धति में बदलाव

परम्परा से यहाँ के किसान पूरे क्षेत्र में एक ही फसल लेते हैं। इससे उन्हें दलाल जो भाव देता है उसी में संतुष्ट होना पड़ता है और आय भी कम ही होती है। युवा मित्र ने कुछ किसानों का गुट बनाकर उन्हे 5 गुण्ठें (एकड का आठवॉ हिस्सा) के क्षेत्र में सब्जी का उत्पाद लेने के लिए प्रेरित किया । एक एकड़ के क्षेत्र में थोड़े–थोड़े अंतराल में आठ अलग–अलग सब्जियों का उत्पाद लेने से मर्यादित उत्पन्न के कारण वे स्वयं उसे मण्डी में जाकर बेच सकते हैं, इससे उन्हें नियमित आय होती है और किसी एक सब्जी का भाव ना मिले तो भी अन्य सब्जियों को भाव मिलने से नुकसान की तीव्रता उन्हें बहुत ही कम महसूस होती है, साथ ही उन्हें रोज नगदी आय होती ही है, जिससे उन्हे रोज का घर और खेती का खर्चा चलाने के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता और वह आत्मसम्मान की जिंदगी जी सकते हैं। इस तरह खेती करने वाले 4–4 किसानों के छोटे–छोटे गुट बनाकर अलग–अलग सब्जियों की रोटेशन में खेती करने से सभी में अच्छा तालमेल भी रहा और सभी को सब्जियों का अच्छा भाव भी मिला। अगर नुकसान हुआ भी तो उसकी मात्रा सीमित रही। कुछ किसानों ने एक्झोटिक वेजिटेबल्स का भी उत्पाद लिया जिससे उनकी आय भी बढ़ी और स्थानीय और पुणे, मुम्बई, बैंगलोर के मार्केटों में उनके अच्छे मार्केटिंग के सम्बन्ध भी प्रस्थापित हुए। इनमें से कुछ किसानों की रोज की आय 5 हजार तक है और अधिकतर किसान 1 से 3 हजार रोज कमा रहे है।

देवनदी वॅली एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स कम्पनी लिमिटेड

पाँच गुण्ठा खेती से नियमित मिल रहे खेती के उत्पाद को अच्छा भाव मिले और उसके लिए नियमित खरीददार मिले इसके लिए अच्छे मार्केटिग सम्बन्ध की जरूरत है। इसलिए इस तरह का प्रयोग करने वाले किसानों को एक साथ लेकर युवा मित्र ने देवनदी वॅली एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स कम्पनी लिमिटेड का गठन किया। इस कम्पनी के द्वारा नासिक और नासिक के बाहर तथा महाराष्ट्र के बाहर स्थित मार्केटों में सम्बन्ध प्रस्थापित किये गये और किसानों के उत्पाद को एक साथ भाव तय कर भेजा गया। इसमें स्थानीय किसानों का प्याज पंजाब तथा बैगलोर भेजा गया, एक्झोटिक बेजिटेबल्स डायरेक्ट एन्ड कस्टमर तक पहुँचायी गयी, जिससे बीच वाले दलालों पर होने वाला खर्चा बच गया, कस्टमर को कम कीमत में माल मिला और किसानों को उनके उत्पाद के लिए ज्यादा भाव मिला। इसी तरह नासिक में स्थित मॉल्स के साथ कॉन्ट्रक्ट बनाकर उसकी आवश्यकतानुसार सब्जियां भेजी गयी।

इससे स्थानीय किसानों को किस तरह उत्पादों को बाहर भेजना है इसका प्रत्यक्ष प्रशिक्षण भी मिला और भविष्य में डायरेक्ट मार्केर्टिक में कौन सी बाधाएं आ सकती हैं और उन्हें किस तरह से दूर करना है इसका प्रत्यक्ष अनुभव भी

मिला। आज देवनदी वॅली एग्रीकल्चरल प्रोडयुसर्स कम्पनी लिमिटेड के सभी सदस्य नियमित आय पाते हैं। साथ ही में एक–दो सदस्यों ने स्थानीय स्तर पर और मेन मार्केट में मार्केटिंग की चेन बनाकर खेती के उत्पाद भेजना शुरू किया है। इससे किसान और खरीददार दोनों को फायदा हो रहा है।

बोल्ड़

वर्तमान स्थिति में भारत में किसान सबसे अधिक परिश्रम करता है। परन्तु उसके परिश्रम के अनुसार उसे उत्पाद नहीं मिलता और उससे मिलने वाला फायदा भी नहीं मिलता। इससे किसानों की आत्महत्या की खबरें बार–बार सुनने को मिलती हैं। तांत्रिक ज्ञान की कमी, वैज्ञानिक प्रशिक्षण और मार्गदर्शन का अभाव, आवश्यक आर्थिक लागत का अभाव, बीज, खाद और कीटनाशकों की बढ़ती हुयी कीमतें, उनका हो रहा ब्लैक मार्केटिंग, समय पर आपूर्ति का अभाव, क्वालिटी और कीमत में हो रही धोखेबाजी इन सब के कारण अधिक उत्पाद लेने में आ रही समस्याओं को मद्दे नजर रखते हुए युवा मित्र और देवनदी वॅली एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स कम्पनी लिमिटेड के द्वारा किसानों की सहायता हेतु ॲग्री मॉल की शुरूवात की गयी। इस मॉल का व्यवस्थापन किसानों के लिए किसानों द्वारा ही किया जा रहा है।

इस ॲग्री मॉल से किसानों को कम कीमत में अच्छे क्वालिटी के बीज, खाद और कीटनाशक उपलब्ध कराये जाएंगे। साथ ही खेती में लगाने वाले छोटे–बड़े औजार इस मॉल से किराये पर ले सकते हैं या खरीदे जा सकते हैं। इनके अलावा खेती की नयी तकनीकों का ज्ञान और जानकारी इस मॉल के माध्यम से उन्हें उपलब्ध करायी जाएगी। छोटे किसानों को खेती करना फायदेमंद हो इसलिए उनको अधिक जानकारी और सेवाएं प्रदान की जाएंगी। किसानों को जल और मिट्टी का परीक्षण कराकर उसके अनुसार फायदेमंद बीजों का उत्पाद लेने के लिए मार्गदर्शन किया जाएगा, साथ ही में किसानों के लिए विभिन्न कार्यशालाओं और प्रशिक्षण शिविरों में खेती पर आधारित छोटे–बड़े उद्यमों को शुरू करने के लिए मार्गदर्शन एवं सहायता प्रदान की जाएगी। किसानों के लिए उपलब्ध शासकीय योजनाओं, अनुदान और फसल की बीमा की जानकारी दी जाएगी और उनके लिए आवेदन करने की विधि में सहायता भी की जाएगी ।

इस ॲग्री मॉल में सदस्य ही केवल इन सब सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसकी स्वयं की खेती है या किसी और की खेती कर रहा है वह ॲग्री मॉल का सदस्य बन सकता है। सदस्य बनने हेतु उसे सदस्यता फार्म के साथ उसकी खेती का 7/12 का मैप, दो फोटो और सदस्यता शुल्क रू. 1500/– मात्र जमा करना आवश्यक है । वर्तमान तथा भविष्य में ॲग्री मॉल से मिलने वाले सब लाभों को ध्यान में रखकर 500 से अधिक किसान ॲग्री मॉल के स्थायी सदस्य बन गये हैं।

समारोप

इस तरह जन भागीदारी पर आधारित जल संसाधन के प्रबन्धन से शुरू हुआ युवा मित्र का कार्य आज सिंचन और खेती के अन्य क्षेत्रों में भी किसानों की भागीदारी और एकजुटता का प्रभाव दिखा रहा है । सुचारू जल प्रबन्धन और सिंचन के साथ ही फसल का अधिक उत्पाद मिले, मार्केट में उसकी माँग हो, उसे अच्छा भाव मिले, अधिक आय हो और ग्रामीण जनों का जीवन अधिक सहज हो इसलिए युवा मित्र द्वारा किये जा रहे प्रयासों के परिणाम भी दिखायी देने लगे हैं और इसका पूरा श्रेय जन भागीदारी से किये गये प्रयत्नों को ही है।

अगर हम शाश्वत ग्रामीण विकास के बारें में सोचते हैं तो केवल जल प्रबन्धन के बारें में ही नहीं अपितु खेती करते समय आने वाली समस्यायें, उन्हें दूर करने के उपाय, खेती से मिलने वाला उत्पाद, उससे मिलने वाली आय और मार्केटिंग की व्यवस्था के बारे में भी सोचना होगा । तभी भारतवर्ष की खेती पर आधारित सबसे बड़ी जनसंख्या का सही मायनों में विकास हो सकता है।

राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान
जलविज्ञान भवन
रूड़की–247 667 (उत्तराखंड)

दूरभाष : 01332–272106
फैक्स : 01332–272123
ई–मेल : nihmail@nih.ernet.in
वेब : www.nih.ernet.in